न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या :–2026/11

प्रार्थना पत्र संख्या 02/2026 तारीख रजू 16.01.2026

आम जनता फुसोदा जरिये–

1. रूपनारायण पुत्र रामदयाल जाटान निवासी पुसोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. महावीर पुत्र रामकिशोर जाटान निवासी पुसोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. रामजीलाल पुत्र मोरपाल जाटान निवासी पुसोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. रामधन पुत्र हरनाथ जाटान निवासी पुसोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5. गिरधारी पुत्र रामहेत जाटान निवासी पुसोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
6. बंशी पुत्र रामरतन जाटान निवासी पुसोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. रामदेवा पुत्र रामनारायण कुम्हार निवासी पुसोदा तहसील सवाई माधोपुर ।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित – श्री जगन्नाथ चौधरी एडवोकेट – प्रार्थीगण की ओर से

पेरोकार सरकार – अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

निर्णय दिनांक 16.03.2026

यह प्रकरण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 319/23 उनवानी आम जनता फुसोदा जरिये रूपनारायण वगै0 बनाम रामदेवा वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2024 द्वारा अदालत हाजा द्वारा आलोच्य प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 को निरस्त करते हुए इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि " उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर देते हुए इस तथ्य की जांच करें कि ग्राम फूसोदा के आराजी ख0नं0 997/6 रकबा 5 बीघा (जिसके हाल खसरा नंबर 1343 रकबा 0.66 व 1347 रकबा 0.60 है.) आवंटन दिनांक 05.11.1975 को किस्म चारागाह थी या सिवायचक भूमि थी ? यदि बाद जांच यह पाया जाता है कि आवंटन दिनांक 05.11.1975 को रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को आवंटित भूमि की किस्म सिवायचक थी तो आवंटन सलाहकार समिति की ओर से दिनांक 05.11.1975 को किये गये आवंटन को बहाल रखा जावे, परन्तु जांच में यदि यह तथ्य सामने आता है कि आवंटन की दिनांक को रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को आवंटित भूमि की किस्म चारागाह थी तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, आवंटन नियम के नियम 4 व राज्य सरकार की ओर से [illegible] दिनांक 17.04.2013 में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परि[illegible] से निर्णय पारित क[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आए। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर पेरोकार सरकार उपस्थित आए। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 997/6 दिनांक 5.11.75 को आवंटित की गई उस समय भूमि चारागाह भूमि थी। चारागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है जिसके संबंध में आवंटन करने से पूर्व कोई जांच नहीं की गई है तथा ऐसी वर्जित भूमियां आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वकील प्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 10.06.76 चारागाह भूमि से सिवायचक भूमि का तस्दीक किया गया है इससे स्पष्ट है कि वक्त आवंटन आवंटित भूमि की किस्म चारागाह थी तथा आवंटन नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। इस संबंध में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 10.08.83 के द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 5.11.75 को निरस्त किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के यहां करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 10.03.2014 के द्वारा न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 10.08.83 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 10.03.2014 से प्रकरण रिमाण्ड होकर पुनः प्राप्त होने पर प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 23.06.16 के द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 5.11.75 के द्वारा आवंटी रामदेवा पुत्र रामनारायण कुम्हार के पक्ष में किया गया आवंटन यथावत रखा गया। उक्त निर्णय दिनांक 23.06.16 की अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के समक्ष की जाने पर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 27.02.24 के द्वारा न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 23.06.16 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 997/6 दिनांक 5.11.75 को आवंटित की गई उस समय भूमि चारागाह भूमि थी। चारागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है जिसके संबंध में आवंटन करने से पूर्व कोई जांच नहीं की गई है तथा ऐसी वर्जित भूमियां आवंटन नियमों के विपरीत होने के कारण आवंटन आदेश दिनांक 5.11.75 निरस्त करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 के खाता सं0 380 में दर्ज खसरा नम्बर 997 रकबा 40 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै0मु0 चारागाह जरिये नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 05.06.76 से सिवायचक बारानी 2 स्वीकार हुई। ज[illegible] 2035 के खाता सं0 320 में दर्ज ख0नं0 997/6 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी 2 [illegible] रामनारायण कुम्हार सा0देह गेरखातेदार दर्ज रिकार्ड हुई जो आवं[illegible] 5.11.75 [illegible] पालना में दर्ज हुई। जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 के खाता सं0 324 में अंकित ख0नं0 997/6 रकबा 5 बीघा नामान्तकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सं0 470 दिनांक 9.3.84 से गैरखातेदारी से सिवायचक (बहक सरकार) स्वीकार हुई। जमाबन्दी संवत 2057–59 जो कि आधार वर्ष की है इसके खाता सं0 250 में दर्ज ख0नं0 1343/0.66 है0, ख0नं0 1347/0.60 है. रामदेवा पुत्र रामनारायण कुम्हार सा0देह गैर खातेदार दर्ज है। उक्त गैर खातेदारी जमाबन्दी संवत 2066–69 में लगातार जारी रही। जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता सं0 410 में दर्ज ख0नं0 1343, 1347 जो कि गै0मु0 चारागाह दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता सं0 418 में उक्त ख0नं0 नामान्तकरण संख्या 453 से गैर खातेदारी, नामा0 सं0 472 दिनांक 31.7.2017 से खातेदारी, नामा0 सं0 474 दिनांक 5.9.17 से अजय सिंह, अनिरूद्ध पि0 प्रकाश जाति जाट सा0देह दर्ज हुआ एवं नामा0 सं0 542 दिनांक 16.10.2018 से राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा रावल मूर्तहीन दर्ज हुआ। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 5.11.75 को किया गया आवंटन सही तरीके से किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर अप्रार्थी संख्या 1 रामदेवा पुत्र रामनारायण कुम्हार निवासी फूसोदा तहसील सवाई माधोपुर को आराजी साबिक खसरा नम्बर 997/6 रकबा 5 बीघा हाल ख0नं0 1343/0.66 है., 1347/0.60 है. वाके ग्राम फूसोदा में आवंटन आदेश दिनांक 5.11.75 के द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी संवत 2028–2031 (तैयार वर्ष 1975) के मुताबिक ख0नं0 997 रकबा 40 बीघा 3 बिस्वा किस्म गै0मु0 चारागाह थी जोकि नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 05.06.76 के द्वारा गैर मुमकिन चारागाह से सिवायचक बारानी 2 दर्ज हुई। जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 (तैयार वर्ष 1979) के खाता सं0 320 में दर्ज ख0नं0 997/6 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी 2 रामदेवा पुत्र रामनारायण कुम्हार सा0देह गेरखातेदार दर्ज रिकार्ड हुई। अतः आवंटन के वक्त उक्त विवादित भूमि की किस्म गै0 मु0 चारागाह थी। इस प्रकार उक्त चारागाह भूमि का आवंटन गलत किया गया है जोकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, आवंटन नियम के नियम 4 व राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र दिनांक 17.04.2013 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है तथा ऐसी वर्जित भूमियां आवंटन नियमों के विपरीत होने के कारण निजी आवंटन योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर आवंटन दिनांक 05.11.75 निरस्त किया जाता है। भूमि का कब्जा पुनः राज्य सरकार के हक में लिया जावे तथा तहसीलदार राजकीय भूमि दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर